



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर जान बूझकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले 05 अभियुक्त को 03-03 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं०-58/2016 धारा 147,148,308 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.रोहित यादव (हिस्ट्रीशीटर) 2.कुंवरपाल सिंह यादव(हिस्ट्रीशीटर)3.दीपक यादव(हिस्ट्रीशीटर) 4.प्रेमचन्द यादव 5. महेश यादव निवासीगण ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर उपरोक्त प्रत्येक को धारा-147,148,325 भा०द०सं० में दोषसिद्ध करते हुये प्रत्येक को 03-03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी मणिकर्ण
शुक्ल



विवेचक-
उ०नि० सुरेन्द्र सिंह
यादव



पैरोकार- थाना कुरारा
का० संजीत कुमार